POSTAL REG. NO. THC/251/2022-2024 RNI. REGN. NO. MAHBIL/2021/15722

THE PILLARS OF DEMOCRACY

VOLUME–4 ISSUE–8 AUGUST 2024 AMBERNATH PAGE 1 OF 4 RS 5/-

न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका तथा मीडिया का लेखा-जोखा जनता तक पहुंचाना , प्रारंभ मे एक मासिक के रूप में शुरू, इस मासिक समाचार पत्र का मूल उद्देश्य है । पाठक अपना विचार हिन्दी या अंग्रेजी में बेहिचक दे सकते हैं । शर्त सिर्फ यह है कि विचार किसी भी तरह के , प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से,पूर्वाग्रह से रहित होना चाहिए ।

email id: vote1957@gmail.com

Landslide In Waynad In Kerala Takes Heavy Toll

More than 93 lives have been lost and over 100 inured in the natural calamity that has befallen Kerala due to the massive landslide due to incessant heavy downpour. Our heartfelt sympathy to those affected.

अंधविश्वास तथा अपर्याप्त पुलिसिया बंदोबस्त

हाथरस में भोले बाबा के सत्संग में भीषण भगदड़ से 116 लोगों की जानें गईं। इनमें 7 बच्चे, 1 पुरुष तथा बाकी सभी 108 महिलाएं हैं। कई घायल हैं। जाहिर है मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है।

इस दुर्दांत घटना के पीछे जो कारण बताया जा रहा है वो ये है कि लोगों में बाबा की चरणधूलि स्पर्श करने के लिए होड़ मच गई। नतीजा इतना भयंकर भगदड़ !

यह अंधविश्वास नहीं है तो क्या है ! लोगों में विश्वास बैठा दिया गया है कि ऐसा करने से अलौकिक सुख मिल सकता है।

दूसरी बात ध्यान देने योग्य है कि जब भीड़ हजारों में थी तो भीड़ को नियंत्रित करने के उपाय क्या थे। जाहिर है कि नियंत्रण नहीं था।

Why Heart - Burnings Over Assistance to Bihar and Andhra Pradesh !

Backward States like Bihar deserve special attention and assistance. I fail to understand the heartburning being expressed by many as evidenced by by some social media posts !

It is not that the whole/entire budgetary provisions running in lakhs of crores of rupees have been allocated to these two States.

However I do agree with other States demanding fair treatment for themselves. This can be done without expressing anguish over the treatment extended to Bihar and Andhra Pradesh.

This is also true that these assistance are not out of the sweet will of the Modi Government which has been constrained to do this with a heavy heart.Credit goes to and kudos to Nitish Kumar, CM, Bihar and Chandra Babu Naidu, CM, Andhra Pradesh ! After all opportunism pays off. This is more true in Indian Politics where morality , honesty and principles do not matter more !

सुप्रीम कोर्ट में हेमंत सोरेन के जमानत के खिलाफ दायर ईडी की अर्जी खारिज

ज्ञातव्य है कि अभी कुछ ही दिन पहले झारखंड हाईकोर्ट ने ईडी द्वारा गिरफ्तार झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमानत दी थी ये कहते हुए कि उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं दिखा जिससे हेमंत सोरेन दोषी दिखते हों।

हाईकोर्ट के इस आदेश को ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की एक नहीं सुनी। बल्कि ये कहा कि हाई कोर्ट का आदेश एकदम बहुत ही अच्छे ढंग से तर्कपूर्ण (reasonable) है ।

ईडी के वकील के बार बार आपत्ति उठाने पर माननीय न्यायाधीशों ने कहा कि अगर आप ज्यादा जोर देंगे तो हमें और भी टिप्पणी करनी पड़ जायेगी जिससे आप की तकलीफ और बढ़ जाएगी।

Composition of 14th Loksabha of India

(Courtesy; Association for Democratic Reforms)

Parties	Total Strength	Criminal Cases	Serious Criminal Cases	Crorepati	Women
BJP	240	94	63	227	31
Congress	99	49	32	92	13
SP	37	21	17	34	5
TMC	29	13	7	27	11
DMK	22	13	6	21	3
TDP	16	8	5	16	1
Shivsena	7	5	4	7	
JDU	12			12	2
AAP	3			3	
Shivsena UBT	9			9	
RJD	4			4	1
LJPR	5			5	2
NCP S	8			7	1
JMM	3			3	1
CPI	2			2	
CPIM	4			1	
CPIML	2			1	
NCP	1			1	
Total	543	251	170	504	74

यूपी तथा उत्तराखंड सरकारों के "नाम बताओ" फरमान को सुप्रीम कोर्ट ने रोका

खुशी की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ियों के मार्ग में पड़ने वाले खाने पीने की दूकानों या ठेलों पर दूकानदारों का नाम लिखने जैसे समाज में दरार पैदा उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड के सरकारों द्वारा जारी किए आदेश पर रोक लगा दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पर रोक लगाते हुए आदेश दिया है कि दुकानदारों को खाद्य पदार्थ का प्रकार लिखने के लिए कहा जा सकता है पर नाम लिखने को नहीं कहा जाय। अगली तारीख को द्वारा तरह तरह के तर्क दिला कर अपने गलत आदेश को उचित ठहराने की कोशिश करेंगी !

संसद का गिरता स्तर

आज बजट सत्र में बोलते हुए बीजेपी के सांसद अनुराग ठाकुर संसद मे विपक्ष के नेता राहुल गांधी की जाति का उपहास बनाने लगे।इसके पहले राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना का जिक्र किया था । उसी के जवाब मे बीजेपी सांसद ने तंज कसते हुए ये आपत्तिजनक टिप्पणी की । संसद के स्पीकर को ऐसे आचरण पर नियंत्रण रखना चाहिए। वैसे भी माननीय सांसद " देश के गद्दारों को..." जैसे नारा के लिए जाने जाते हैं ।

भाषा की (अ)मर्यादा

भारत ही नहीं अमेरिका में भी अपने प्रतिद्वंद्वियों के लिए अप्रिय भाषा का प्रयोग होने लगा है।

वहां के राष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन पार्टी के प्रत्याशी डोनाल्ड ट्रंप अपने प्रतिद्वंद्वी डेमोक्रेट्स पार्टी के प्रत्याशी कमला हैरिस को "कट्टर वाम पागल" कह रहे हैं।

नीति आयोग की मीटिंग से ममता बनर्जी का वॉक आउट

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बताया कि उन्हें पर्याप्त समय बोलने नहीं दिया गया तथा उनके माइक को ऑफ कर दिया गया । इस तरह की बात शोचनीय है। संसद में भी अक्सर सदस्य शिकायत करते हैं कि उनका माइक बंद कर दिया गया तथा उन्हें बोलने नहीं दिया गया। जब एक मुख्य मंत्री के साथ इस तरह का सलूक है तो आम आदमी की कौन सुनेगा !

POSTAL REG. NO. THC/251/2022-2024 RNI. REGN. NO. MAHBIL/2021/15722

THE PILLARS OF DEMOCRACY

VOLUME–4 ISSUE–8 AUGUST 2024 AMBERNATH PAGE 2 OF 4 RS 5/-

आस्तिकता - नास्तिकता

लोक परलोक में लोगों के विश्वास को इस बात से आंका जा सकता है कि कोई भी व्यक्ति तथाकथित स्वर्ग में भी समय से पहले जाना नहीं चाहता है । इसके लिए कितने भी बड़े संत या महात्मा की बात भी नहीं मानता है। जिंदगी भर जीना चाहता है हर हालत में चाहे जीर्ण क्षीण क्यों न हो जाय, चाहे हाथ पैर काम करना बंद कर दे, आंख से दिखाई न पड़े, नाना तरह की तकलीफ सह कर भी मनुष्य जिंदा रहना चाहता है।किसी भी स्वर्ग नरक के बहकावे में नहीं आता है क्योंकि उसे विश्वास नहीं है परलोक के मायाजाल में ।

पर कल्पना ही सही, इस ईश्वरीय अवधारणा को अपने अपने ढंग से उचित या वांछनीय ठहराया जा सकता है।

उदाहरण के लिए जब नाना प्रकार की समस्याओं से जूझता मनुष्य बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर या समाधान नहीं ढूंढ पाता है तो क्षणिक सांत्वना के लिए ही सही किसी पारलौकिक शक्ति अवधारणा को सारी अदम्य समस्याओं, परिस्थितियों, चमत्कारों के लिए जिम्मेवार मानने लगता है। जब किसी के सामने उसके प्रिय जन असमय दुर्घटनावश या किसी बीमारी के चलते काल कवलित हो जाते हैं, चिकित्सा के सारे उपाय फेल हो जाते हैं, सारे प्रयत्न फेल हो जाते हैं तो अभागा व्यक्ति उसे ईश्वर की मर्जी समझ अपने मन को समझाने की कोशिश करता है।

ऐसा करने या मानने में बुराई क्या है !

फिलिस्तीन में चल रहे नसंहार पर विश्व चुप क्यों !

इसराइल हमास संघर्ष में फिलिस्तीन में इजरायल द्वारा किए जा रहे नरसंहार पर भारत में पहली बार अगर किसी ने अपने विचार खुल कर रखे हैं तो वो हैं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ! प्रियंका गांधी ने निम्नलिखित शब्दों में अपनी व्यथा प्रकट की है :-

“It is no longer enough to speak up for the civilians, mothers, fathers, doctors, nurses, aid workers, journalists, teachers, writers, poets, senior citizens and the thousands of innocent children who are being wiped out day after day by the horrific genocide taking place in Gaza,” Priyanka wrote. “It is the moral responsibility of every right thinking individual including all those Israeli citizens who do not believe in hatred and violence, and every government in the world to condemn the Israeli government’s genocidal actions and force them to stop. Their actions are unacceptable in a world that professes civility and morality. Instead we are subjected to the image of the Israeli Prime Minister being given a standing ovation in the US Congress.”

इसराइल के प्रधान मंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का अमेरिका में भव्य सत्कार (standing ovation) पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए प्रियंका गांधी ने भारत की अस्पष्ट भूमिका पर भी सवाल किया है।

उन्होंने महात्मा गांधी के कथन का कि "आंख के बदले आंख की प्रवृत्ति सारी दुनिया का अंधा बना देगी" को दोहराया तथा कहा कि भारत सदा से ही सत्य और अहिंसा का पक्षधर रहा है।

इसराइल में हो रहे नरसंहार पर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय भी अपनी नाराजगी व्यक्त कर चुका है। संयुक्त राष्ट्र संघ भी नाराजगी व्यक्त कर चुका है। पर इसराइल निसंकोच अमानवीय कृत्य में लगा हुआ है। इसराइल के प्रधान मंत्री "पूर्ण विजय" की बात कर रहे हैं।

विश्व में सभ्य समाज को ऐसे कृत्यों की दो टूक भर्त्सना करनी चाहिए ।

कर्नाटक के बेंगलुरु के एक पीजी में 24 साल की एक लड़की की घृणित हत्या - मृतक की सहेली के एक सनकी पूर्वप्रेमी द्वारा

लड़की बिहार की थी जो बेंगलुरु में नौकरी करती थी तथा एक पीजी में रहती थी। पीजी में उसकी एक सहेली भी रहती थी।इसी सहेली के एक पूर्वप्रेमी (जो भोपाल का रहने वाला है) ने इस खतरनाक घटना को अंजाम दिया है।

घटना के तीन दिन बाद भी कर्नाटक पुलिस अपराधी को गिरफ्तार नही कर पाई है - ये चिंताजनक बात है।

कानून सर्वोपरि है - केरला हाई कोर्ट

बाल विवाह प्रतिबंधक कानून मुस्लिम पर्सनल लॉ से ऊपर है। कानून सभी धर्मों से ऊपर है - हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि सभी धर्मों से। नागरिकों के लिए देश के कानून उनकी निजी मान्यताओं से ऊपर है। ऐसा कहना है केरला हाईकोर्ट का।

मामला एक मुस्लिम नाबालिग की शादी का है । बाल विवाह प्रतिबंधक कानून के तहत चल रही प्रक्रियाओं को निरस्त करने के लिए याचिकाकर्ताओं ने केरल हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। केरल हाईकोर्ट ने अन्य हाई कोर्टों (यथा पटना, पंजाब एंड हरियाणा तथा दिल्ली हाई कोर्ट) के फैसलों से इत्तिफक नहीं रखते हुए इस याचिका को खारिज करते हुए केरल हाई कोर्ट ने बड़ा ही अच्छा सलाह दिया है :-

Highlighting the evils of child marriage, the Court stated that such marriage infringes upon basic human rights and leads to the exploitation of children. It stated that early marriage and pregnancy create health problems for victims of child marriage. The Court noted that child marriages force girls to drop out of school, perpetuate poverty and limit their economic opportunities. It stated that child brides are vulnerable to domestic violence which causes emotional and psychological trauma.

The Court concluded by stating that every citizen has the duty to prevent child marriages. The Court said, “Let the children study according to their wishes. Let them travel, let them enjoy life and when they attained maturity, let them decide about their marriage. In the modern society, there cannot be any compulsion for marriage. Majority of the girls are interested in studies. Let them study and let them enjoy their life, of course with the blessings of their parents.”

बाल विवाह की बुराइयों को उजागर करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि ऐसे विवाह मूलभूत मानवीय अधिकारों का हनन करते हैं जिसके चलते बच्चों का शोषण होता है। कोर्ट ने कहा कि कम उम्र में शादी बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। इसके चलते बच्चे बच्चियां पढ़ाई छोड़ देती हैं जिसके चलते उनके लिए रोजगार या अन्य आर्थिक अवसर के रास्ते बंद हो जाते हैं तथा गरीबी कायम रहती है। कोर्ट ने कहा कि बाल विवाह की शिकार बच्चियां घरेलू हिंसा की शिकार होते रहती हैं जिसके चलते उन पर भावनात्मक तथा मनोवैज्ञानिक कुप्रभाव पड़ते हैं।

कोर्ट ने कहा कि हर नागरिक का कर्तव्य है कि वो बाल विवाह को रोके। बच्चों को उनकी मर्जी तक पढ़ने दीजिए, उन्हें घूमने फिरने दीजिए तथा परिपक्व होने पर उन्हें उनकी शादी के बारे में फैसला लेने दीजिए। आधुनिक जमाने में शादी के लिए किसी को भी मजबूर करना ठीक नहीं है। ज्यादातर लड़कियां पढ़ना लिखना चाहती हैं। उन्हें उनके जीवन का आनंद लेने दीजिए - हां, उनके माता पिता के आशीर्वाद से।

फैसला देने वाले जज जस्टिस पी वी कुन्हीकृष्णन (Justice P. V. Kunhikrishnan) सचमुच धन्यवाद के पात्र हैं इस महान फ़ैसला के लिए।

यूपीएससी के कोचिंग सेंटर में तीन छात्रों की मौत

दिल्ली में यूपीएससी के एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में अचानक पानी भर जाने से यूपीएससी की तैयारी कर राज तीन प्रतिभावान छात्रों की जान चली गई।

कोचिंग सेंटर के बेसमेंट मतलब अंडरग्राउंड में लाइब्रेरी बनी थी। समाचारों के मुताबिक पास के नाले से (drainage) के फटने से पानी इतनी तेजी से बेसमेंट में भर गया कि बच्चे बाहर नहीं निकल सके और दम तोड दिए। सचमुच ही दुखदाई खबर है।

कोचिंग सेंटर वाले बिल्डिंग वालों पर कार्रवाई होगी। कुछ लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। पर ये बार कोई नहीं बता रहा है की नाला (drainage) फटा कैसे ! पानी का उतना तूफान कहां से अचानक आ गया ! और इस पानी से सिर्फ यह कोचिंग सेंटर ही क्यों प्रभावित हुआ !

मुझे लगता है कि इसमें अवैध निर्माण की बात हो सकती है।नाले से इतना सटाकर इमारत निर्माण की अनुमति कैसे दी जा सकती है बिना सुरक्षा की बातों को सुनिश्चित किए !

POSTAL REG. NO. THC/251/2022-2024 RNI. REGN. NO. MAHBIL/2021/15722

THE PILLARS OF DEMOCRACY

VOLUME–4 ISSUE–8 AUGUST 2024 AMBERNATH PAGE 3 OF 4 RS 5/-

Coercive Option

This government is known for dividing or creating rifts and has not spared even the income tax rates.

It has created two divisions among tax payers as belonging to Old Tax Regimes and New Tax Regimes. The government in its bid to do away with the Old Tax Regime fast has been taking decisions neglecting it(the Old Tax Regimes)

One can see this game plan by having even a cursory look at the income tax rates slabs structures of both the regimes. Under Old Regime you will find a steep rise from 5% for income upto 5 lakh to 20% for income above 5 lakh upto 10 lakh and then straight way 30% for income beyond 10 lakh.

Whereas there is milder and gradual rise at the rate of 5% for every successive multiples of 3 lakh ie 5% for income upto 6 lakh , 10% for income upto 9 lakh, 15% for income upto 12 lakh and 20% upto 15 lakh and 30% beyond 15 lakh.

Moreover from this year they have made New Regime as the default option however permitting option to switch over to Old Regime.

All that I mean to say that option should have been Persuasive and not Coercive. As such you have very little options left to continue with the Old Regime which allows deductions on various accounts.

भारतीय पति अपनी गृहिणी (Homemakers)पत्नियों को आर्थिक रूप से भी सशक्त बनाएं - सुप्रीम कोर्ट

सीआरपीसी की धारा 125 के तहत मुस्लिम महिला के गुजारा भत्ता के मामले के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस बी वी नागरत्ना ने भारत में गृहिणी (Home makers) पत्नियों की, जिनकी अपनी कोई स्वतंत्र आय नही होती है, की हालत पर जोर देते हुए पतियों से आग्रह किया है कि आर्थिक रूप से पति या ससुराल पर निर्भर पत्नियों को ना सिर्फ भावनात्मक प्रेम या सपोर्ट की जरूरत होती है बल्कि उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम बनाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

मुंबई के पास उरण में 20 वर्ष की एक लड़की की हत्या

ये क्या हो रहा है, भारत में ! चंद दिनों पहले बेंगलुरु के एक पीजी में एक लड़की की नृशंस हत्या तथा अब महाराष्ट्र में मुंबई के पास उरण में इस लड़की की नृशंस हत्या छुरा घोंप कर।

कानून से डर खत्म नहीं तो कम होता जरूर लग रहा है।यहां भी प्रेम की सनक ही कारण बताया जा रहा है।

बिहार में दो हफ्ते में 12 पुल गिरे

सचमुच ही ये चौंकाने वाली बात है कि उतने कम समय में एक के बाद एक 12 पुल कैसे गिर गए ! शुक्र है कि किसी व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है।

मीडिया में किरकिरी होने के बाद बिहार सरकार कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति करती नजर आ रही है। 15 इंजीनियरों को निलंबित किया गया है 11 जल संसाधन मंत्रालय के तथा 4 ग्रामीण कार्य विभाग के।

बीजेपी, जेडीयू तथा आरजेडी एक दूसरे पर आरोप लगाना शुरू कर दिए हैं। पर ये आम बात है। काम ठेकेदारों को दिया जाता है। पैसे का लेन देन होता है। इसके चलते काम के क्वालिटी पर असर पड़ता है।एक निष्पक्ष एक्सपर्ट कमिटी बनाकर निष्पक्ष जांच से पता चल सकता है कि इन पुलों के निर्माण में किस तरह की सामग्री का प्रयोग हुआ है, किस तरह की चूक हुई है और क्यों हुई है ! जानबूझ कर लापरवाही या भ्रष्टाचार के मामले में दोषियों को कठोर सजा होनी चाहिए तथा भविष्य में ऐसा ना हो इसके लिए उपाय करने चाहिए।

संविधान हत्या दिवस या सिर्फ संविधान दिवस

हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है क्यों की भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को तैयार तथा स्वीकृत हो गया था। लागू इसे 26 जनवरी 1950 से किया गया है।

ऐसे में स्वाभाविक सवाल उठता है कि संविधान दिवस जब पहले से ही मनाया जाता है तो बीजेपी के लोगों के दिमाग में ये नकारात्मक बात क्यों आती है संविधान हत्या दिवस मनाने जैसी। वैसे दिखा जाय तो इनके स्वभावोनुकुल ठीक ही है क्योंकि ये लोग संविधान की हत्या ही तो करते आ रहे हैं। नफरती भाषणबाजी, संघीय ढांचे पर राज्यपालों के मार्फत कुठाराघात करते रहना, संवैधानिक संस्थाओं का मजाक बनाना, जांच एजेंसियों के मार्फत स्वतंत्र विचार पर कुठाराघात इत्यादि इत्यादि। इसी लिए इन्हें इस तरह के खुराफाती उत्सव मनाने को सूझता है।

संविधान की सतत अवहेलना करने वालों के मुंह से संविधान की रक्षा की बात शोभा नहीं देती है।

बाकी, सारे भारतवासी हमेशा की तरह हरवसाल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते रहेंगे !

Smt Indira Gandhi herself had expressed regret over excesses committed during emergency. Will present government stop unleashing undeclared emergency !

We do celebrate Constitution Day on 26th November.

Those having no regard for Constitution talking big about it is amazing !

पुणे के बाद मुंबई में भी एक अमीरजादे ने गाड़ी से घसीट कर एक महिला की जान ली !

अमीरजादे के पिता महाराष्ट्र में एक राजनीतिक पार्टी शिवसेना (शिंदे गट) के नेता भी हैं। जिस तरह से महिला की जान गई है उसे वहशियाना हरकत ही कहा जा सकता है।

महिला तथा उनके पति बाइक पर सवार थे। पीछे से आ रही बीएमडब्ल्यू गाड़ी (जिसे नेता पुत्र चला रहा था) ने बाइक को इतने जोर की टक्कर मारी कि बाइक सवार पति पत्नी हवा में उछलकर बीएमडब्ल्यू गाड़ी के बोनट पर गिर पड़े। पति तो कूद कर नीचे गिर पड़े तथा घायल हुए। पर पत्नी नीचे नहीं कूद पाई।

दोनों गाड़ी रोको गाड़ी रोको चिल्लाते रहे। पर लड़का गाड़ी चलाता रहा। करीब दो किलोमीटर तक घसीटता रहा । बाद में झटके से महिला को नीचे जमीन पर फेंक कर गाड़ी आगे भगा ले गया।

आसपास के लोगों ने बुरी तरह आहत महिला को हॉस्पिटल पहुंचाया ।पर औरत बच नहीं पाई।

अब मामला कोर्ट में जायेगा और पुणे के पोर्शे मामले जैसा इसे भी भुला दिया जाएगा।कामना करें कि पुणे के कोर्ट जैसा मुंबई के कोर्ट भी इस लड़के से कोई लेख या निबंध लिखने की शर्त पर इसे भी जमानत ना दे दे। ये किस तरह का विकास हो रहा है !

2020 के दिल्ली दंगों में फैजान की मृत्यु में दिल्ली पुलिस के रोल की जांच सीबीआई करेगी - दिल्ली हाई कोर्ट

ज्ञातव्य है कि 2020 में हुए दिल्ली दंगों के दौरान एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कुछ पुलिस वाले एक शख्स की पिटाई करते हुए उससे वंदे मातरम तथा राष्ट्रगीत (जन गण मन अधिनायक ....) कहलवाने का प्रयास कर रहे थे। उस शख्स की बाद में मृत्यु हो गई थी।

जांच में दिल्ली पुलिस की ढुलमुल रवैए से व्यथित मृतक की मां ने मामले की जांच सीबीआई के सुपुर्द करने की मांग वाली याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में दायर की थी जिसे दिल्ली पुलिस के रवैए से असंतुष्ट दिल्ली हाई कोर्ट ने स्वीकार कर ली। मतलब जांच अब सीबीआई करेगी।

आज चार साल बाद भी दिल्ली दंगों की जांच का कुछ भी नतीजा नहीं दिख रहा है जबकि भारत के गृह मंत्री ने कहा था कि दंगा के लिए जिम्मेवार लोगों को बख्शा नहीं जाएगा

POSTAL REG. NO. THC/251/2022-2024 RNI. REGN. NO. MAHBIL/2021/15722

THE PILLARS OF DEMOCRACY

VOLUME–4 ISSUE–8 AUGUST 2024 AMBERNATH PAGE 4 OF 4 RS 5/-

Miscellaneous

आप राजमार्ग (हाइवे) कैसे बंद कर सकते हैं - सुप्रीम कोर्ट हरियाणा सरकार से

ज्ञातव्य है कि जनवरी फरवरी में हरियाणा सरकार ने आंदोलन कर रहे पंजाब के किसानों को दिल्ली की तरफ मार्च करने से रोकने के लिए पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर हाईवे को हो बंद (ब्लॉक) कर दिया था।

इसके खिलाफ किसानों ने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाई कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला देते हुए हाई वे को खोलने का आदेश दिया था।

इसके खिलाफ हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई थी। इसी के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए आश्चर्य व्यक्त किया है कि आप हाइवे कैसे बंद कर सकते हैं ! कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कानून और व्यवस्था कि स्थिति अगर पैदा होती है तो सरकार उसे नियंत्रित जरूर कर सकती है। मतलब ये है कि आवागमन पूरी तरह से बाधित करना उचित नहीं है !

केजरीवाल के साथ न्यायिक आंख मिचौली

1. सुप्रीम कोर्ट ने ईडी मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर छोड़ा।

2. पर वे जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे क्योंकि सीबीआई को इसका आभाष बहुत पहले ही हो चुका था। इसलिए सीबीआई ने केजरीवाल को किसी अन्य मामले में पहले से ही गिरफ्तार कर लिया है।

3. दिल्ली हाईकोर्ट में सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी के खिलाफ चुनौती दी गई है केजरीवाल द्वारा।

4. इसके पहले मई में सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए 10 दिन के लिए जमानत दी थी। चुनाव खत्म होते ही ये जेल में वापस चले गए।

5. केजरीवाल द्वारा खराब स्वास्थ्य के आधार पर मांगी गई जमानत का भी जांच एजेंसियों ने खूब विरोध किया। जज साहब ने भी केजरीवाल की नहीं सुनी।

6. दिल्ली का एक कोर्ट केजरीवाल को नियमित जमानत देता है ये कहते हुए कि ईडी के सबूतों से केजरीवाल के दोषी होने की बात सिद्ध नहीं होती है।

7. दूसरे दिन हो दिल्ली हाईकोर्ट के एक जज केजरीवाल की रिहाई पर रोक लगा देते हैं ।

8. दिल्ली हाई कोर्ट के इसी ऑर्डर के खिलाफ केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुनवाई पूरी हो चुकी थी। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था।

9. इसी आरक्षित फैसला को सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनाया जिसमे केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिली है तथा पीएमएलए के कुछ धाराओं (धारा 19) का मतलब अनिवार्य गिरफ्तारी समझने की जांच एजेंसियों की बहस का संज्ञान लेते हुए इसकी सुनवाई तथा फैसला सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े बेंच से करने की सिफारिश की है।

10. केजरीवाल भारत के न्यायिक इतिहास में अपना महत्वपूर्ण दृष्टिगोचर स्थान बना चुके है।

साफ है कि जांच एजेंसियां केजरीवाल के पीछे पड़ी है तथा उन्हें येनकेनप्रकारेण केजरीवाल को किसी भी हालत में जेल से बाहर नहीं आने देना चाहती हैं। ये दुर्भाग्य है भारत में न्याय के लिए !

खतरनाक कानून

पहले से ही मौजूद यू ए पी ए तथा पीएमएलए जैसे खतरनाक कानूनों के बीच एक और खतरनाक कानून लाने जा रही है महाराष्ट्र सरकार ! शहरी क्षेत्रों में नक्सलियों के प्रचार प्रसार पर रोक के नाम पर।

इन कानूनों को खतरनाक इसलिए कहा जाता है कि इन कानूनों की आड़ में लोगों को शक के आधार पर भी वर्षों जेल में रखा जाता है मुक्त रूप से सरकार तथा सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाने वालों को। आंदोलन करने वालों को। धरना मोर्चे निकालने वालों को।

महाराष्ट्र की विपक्षी पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं।

उम्मीद की जानी चाहिए कि कानूनों पर विधिवत चर्चा हो, नाकि किसी भी तरह से जोर जबरदस्ती पास करा लिए जाएं जैसा कि बहुत से कानूनों को संसद में पास कराए जाने का अनुभव बताता है।

Masoud Pezeshkian Is The President Of Iran

Now, In Iran as well, a comparatively more liberal person has been elected as President defeating hardliners. Masoud Pezeshkian the president elect has some hopes for freedom seekers in Iran. Though it is well-known that the spiritual heads command more power there.

Yet the world becomes more easier place to live in with elections of every liberals anywhere in world !

लेबर पार्टी 400 पार

अब की बार , चार सौ पार भारत में नही ब्रिटेन में हो गया । जहां की लेबर पार्टी ने 650 सीटों में से 412 सीटें जीत कर एक भारी जीत हासिल की है। वहीं सत्ताधारी कंजर्वेटिव पार्टी की करारी हार हुई है जिसे 121 सीटें मिली हैं !

भारत की तुलना में ब्रिटेन के चुनाव की कुछ बातें अच्छी लगीं:-

1. वहां चुनाव तथा चुनाव परिणाम सबकुछ 24 घंटे में पूरे हो गए। भारत में महीनों लग जाते है। हाल के चुनाव में लगभग तीन महीने लग गए।

2. वहां किसी को चुनाव आयोग की निष्पक्षता या चुनाव में गड़बड़ी की कोई शिकायत नहीं सुनने को मिली। भारत में ये आम बात है।

3. वहां के राजनेताओं में एक दूसरे के प्रति कटुता या कड़वाहट नही सुनने को मिले जबकि भारत में ये आम बात हो गई है।

4. वहां के प्रधान मंत्री तथा विपक्ष के नेताओं के बीच पब्लिक में खुली बहस होती है पर भारत में ऐसा संभव नहीं हो पाता है।

5. वहां के प्रधानमंत्री कमियों के मद्देनजर स्वयं इस्तीफा दे देते हैं। भारत में मांग करने पर भी मंत्री कुर्सी नहीं छोड़ते हैं।

शायद लोकतंत्र की परिपक्वता एक कारण हो सकता है !

और अब फ्रांस में भी लेफ्ट

फ्रांस के चुनाव के नतीजे भी लेफ्ट के तरफ जा रहे हैं। यद्यपि फ्रांस में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है पर लेफ्ट सबसे आगे है।

लगता है हवा का रुख बदलने लगा है। विश्व के एक के बाद एक देश वहां के चुनावों में वामपंथ की ओर बढ़ते दिख रहे हैं।

ब्राजील में लेफ्ट आया। कुछ दिन पहले ब्रिटेन में लिबरल लेबर पार्टी सत्ता में आई।

और अब फ्रांस में भी !

मशहू पत्रकार आशुतोष का पोस्ट ट्विटर/X पर

जाति जनगणना के सवाल पर बीजेपी वही गलती कर रही है जो कांग्रेस ने मंडल आयोग लागू होने पर की । राहुल की जाति पर जो बोला गया है उसकी बड़ी क़ीमत बीजेपी चुकायेगी । क्योंकि जाति के आधार पर अपमान सिर्फ पिछडों दलितों का ही किया जाता है ।

Printed, published and owned by Harishankar Upadhyay and printed and published at Flat 15B, Jeevan Jyot, Bhidewadi, Kansai Section, Ambernath (East), Dist Thane (Maharashtra), PIN 421501. Editor Harishankar Upadhyay, Mobile 9869435995